संख्या : 5759/8–3–2007–233 काम्प/2007टी.सी.

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

3. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2008

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोलने हेतु भूमि के मानकों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

बढ़ते हुए नगरीकरण तथा भूमि की सीमिति उपलब्धता के दृष्टिगत नये महाविद्यालयों की स्थापना निर्धारित भूमि के मानकों को कम किए जाने की मॉग एवं जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप भूमि पर बढ़ रहे दबाव के कारण नवीन महाविद्यालयों की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 743मु.मं./सत्तर–2–2006–2(166)/2002 दिनांक 7.11.2006 द्वारा भूमि के मानकों का निम्नवत् निर्धारण किया गया हैः–

(क)	नगर निगम	5000 वर्ग मी.
(ख)	अन्य नगरीय क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र)	5000 वर्ग मी.
(ग)	ग्रामीण क्षेत्र	10000 वर्ग मी.

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के संदर्भित शासनादेश दिनांक 7.11.2006 में यह भी उल्लेख है कि महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानकउक्त मानकों का 50 प्रतिशत होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 7.11.2006 की व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नवीन महाविद्यालयों की स्थापना हेतु उपर्युक्त मानकों के आधार पर मानचित्र स्वीकृति आदि की नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक : तदैव :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह

विशेष सचिव